भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
भाविप्रा ईपीएफ ट्रस्ट
राजीव गांधी भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की संशोधित अधिसूचना दिनांक 15-01-2011 के अनुसार भविष्य निधि ट्रस्ट से **अलग होने की तिथि से तीन साल** पूर्ण होने के बाद भविष्य निधि राशि पर सदस्य को कोई ब्याज देय नहीं होगा।

यह भी अनुरोध किया जाता है कि जिन कार्मिकों की भविष्य निधि की शेष राशि अभी भी भाविप्रा ईपीएफ ट्रस्ट के पास है, वे इसे वापस लेने के लिए आवेदन कर सकते हैं क्योंकि तीन वर्षों की निर्धारित अवधि के पूरा होने के बाद कोई ब्याज देय नहीं होगा।

--हस्ता०--
(एस. सुरेश)
कार्यपालक निदेशक (वित्त व लेखा)

मद संख्या 8 में प्रावधान : (ए) आंशिक अंतिम आहरण तथा (बी) निष्क्रिय खातों के सदस्यों को ब्याज का भुगतान।

(ए) आंशिक अंतिम आहरण विवाह और उच्च शिक्षा के संबंध में आंशिक अंतिम आहरण :

उपर्युक्त प्रावधान के संबंध में अनुपस्थित ट्रस्टियों में से एक के द्वारा दिनांक 25-11-2011 को प्रेषित फैक्स के माध्यम से तथा बैठक में उपस्थित ट्रस्टियों में से एक के द्वारा कार्मिकों का प्रतिनिधित्व करते हुए व्यक्त की गई चिंता को अध्यक्ष द्वारा स्पष्ट करते हुए यह अवगत करवाया गया कि भाविप्रा ईपीएफ ट्रस्ट ने विवाह और उच्च शिक्षा के उद्देश्य से आंशिक अंतिम आहरण की राशि को कार्मिक की सदस्यता के मौजूदा 50% से 100% तक बढ़ाने का मुद्दा उठाया है तथा आगे इस संबंध में आरपीएफसी के साथ अनुवर्ती कार्रवाई भी की है। तथापि, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने दिनांक 07-10-2011 के अपने पत्र (कार्यसूची में प्रति संलग्न है) के माध्यम से इस मामले को अस्वीकार करते हुए उल्लेख किया है कि ये प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं में उल्लिखित प्रावधानों की तुलना में कर्मचारियों के लिए अनुकूल नहीं हैं।

एक ट्रस्टी द्वारा सूचित किया गया है कि समान पेंशन योजनाएं रखने वाले कुछ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम विवाह और उच्च शिक्षा के उद्देश्य से कार्मिकों की सदस्यता का 100% आंशिक अंतिम आहरण का भुगतान कर रहे हैं तथा उनके द्वारा ऐसे उपक्रमों के नियम भी प्रस्तुत किए गए हैं। अध्यक्ष ने आश्वासन दिया कि उपरोक्त ट्रस्टी द्वारा भाविप्रा ईपीएफ ट्रस्ट के समक्ष आवश्यक साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए इस मुद्दे पर आरपीएफसी के साथ पुनः चर्चा की जाएगी।

अध्यक्ष द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि ट्रस्ट इस संबंध में आरपीएफसी के प्रावधानों/ निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है अतः विवाह और उच्च शिक्षा के उद्देश्य से आंशिक अंतिम आहरण के प्रावधान मौजूदा भाविप्रा ईपीएफ नियमों के अनुसार कार्मिक की सदस्यता का 50% ही होगा।

(बी) निष्क्रिय खातों के सदस्यों को ब्याज का भुगतान :-

निष्क्रिय खातों के सदस्यों को ब्याज के भुगतान के संबंध में भाविप्रा ईपीएफ ट्रस्ट की चौथी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सभी कार्मिक जो 31-05-2011 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होंगे उन्हें व्यक्तिगत रूप से कार्मिक विभाग द्वारा सूचित किया जाएगा कि अधिवार्षिता/ इस्तीफा/ मृत्यु के कारण ट्रस्ट से अलग होने की तिथि से एक वर्ष पूरा होने के बाद ट्रस्ट द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। इस पर आरपीएफसी के अनुमोदन हेतु भी भेजा गया था।

तथापि, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने दिनांक 07-10-2011 के अपने पत्र (कार्यसूची में प्रति संलग्न है) के अनुसार इस मामले को अस्वीकार करते हुए उल्लेख किया है कि ये प्रावधान कर्मचारी भविष्य निधि एवं प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 तथा उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं में उल्लिखित प्रावधानों की तुलना में कर्मचारियों के लिए अनुकूल नहीं हैं।

i) अध्यक्ष द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि इस संबंध में ट्रस्ट आरपीएफसी के प्रावधानों/ निदेशों का पालन करने के लिए बाध्य है अतः सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र/मृत्यु के कारण ट्रस्ट से अलग होने की तिथि से तीन वर्ष पूरा होने के बाद निष्क्रिय खातों के सदस्यों को ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

ट्रस्टी बोर्ड से अनुरोध है कि वे उपरोक्त मामले का संज्ञान लें।

उपस्थित सदस्यों को धन्यवाद देते हुए बैठक का समापन किया गया।

--हस्ता०--
(पवन अग्रवाल)
उप महाप्रबंधक (वित्त व लेखा)
सचिव, भाविप्रा ईपीएफ ट्रस्ट